प्र. अपील और पुनरीक्षण के मध्य अन्तर की विवेचना कीजिए।

उ. **पुनरीक्षण**	**अपील**
1- पुनरीक्षण केवल उच्च न्यायालय द्वारा ही हो सकता है।	1- अपील किसी उच्चतर न्यायालय में की जाती है। यह आवश्यक नहीं है कि उच्चतर न्यायालय उच्च न्यायालय ही हो।
2- पुनरीक्षण के लिए आवेदनपत्र तभी महण किया जाता है जब अपील होती है। कि अपील द्वारा उच्च न्यायालय से अनुतोष प्राप्त नहीं होता।	2-केवल अपील योग्य आदेशों और डिक्रियों के विरुद्ध
3- पुनरीक्षण का अधिकार उच्च न्यायालय का एक विशेषाधिकार होता है।	3- अपील करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार होता है जो कि अधिनियम द्वारा दिया गया होता है।
4- पुनरीक्षण किसी पक्षकार की मृत्यु पर समाप्त नहीं होता।	4- अपील उस स्थिति में समाप्त हो जाती है जब कि मृत पक्षकार का वैध प्रतिनिधि विधि द्वारा स्वीकृत अवधि के अन्तर्गत अभिलेख पर नहीं लाया जाता।
5- पुनरीक्षण में उच्च न्यायालय गुण-दोषों पर निर्णय करने निर्णय करता है। का क्षेत्राधिकार नहीं रखता।	5-अपील में उच्चतर न्यायालय गुण-दोषों के आधार पर
6- पुनरीक्षण के लिए किसी आवेदन का करना आवश्यक नहीं होता। उच्च न्यायालय स्वयमेव पुनरीक्षण सम्बन्धी क्षेत्राधिकार का प्रयोग सकता है।	6- अपील एक ज्ञापन के रूप में की जाती है। ज्ञापन में अपील करने का वर्णन होता है।

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

प्र. न्यायालय कैसे और कब कमीशन निर्गत कर सकता है? इस संबंध में कमिशन की शक्तियों का वर्णन कीजिए।

How and when car a count issue a commission? Explain the powers of commissioner in this regard.

उ- **कमीशन निकालने की न्यायालय की शक्ति-** ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए] जो विहित की जाएँ] न्यायालय:

क (किसी व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए,

ख (स्थानीय अन्वेषण करने के लिए;

ग (लेखाओं की परीक्षा या उनका समायोजन करने के लिए;

घ (विभाजन करने के लिए

इ (कोई वैज्ञानिक, तकनीकी या विशेषज्ञ अन्वेषण करने के लिए;

च (ऐसी सम्पत्ति का विक्रय करने के लिए जो शीघ्र और प्रकृत्या क्षयशील है और जो वाद का अवधारण लम्बित रहने तक न्यायालय की अभिरक्षा में है.

छ (कोई अनुसचिवीय कार्य करने के लिए कमीशन निकाल सकेगा) धारा 75)।

अन्य न्यायालयों को कमीशन-किसी राज्य में स्थित किसी न्यायालय को उसके क्षेत्राधिकार में निवास करने वाले किसी व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए किसी अन्य राज्य में स्थित न्यायालय कमीशन निकाल सकेगा) धारा 76) ।

विदेशी न्यायालयों द्वारा निकाले गये कमीशन -साक्षियों को परीक्षा करने के लिए कमीशनों के निष्पादन और लौटाने से सम्बन्ध रखने वाले उपबन्ध) 1) भारत के उन भागों में स्थित न्यायालयों द्वारा या उनकी प्रेरणा से निकाले गये, (2) भारत से बाहर केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित न्यायालयों द्वारा निकाले गये, (3) भारत से बाहर किसी देश के न्यायालयों द्वारा निकाले गये कमीशनों को लागू होंगे) धारा 78) 1

साक्षियों की परीक्षा करने के लिए कमीशन -निम्नलिखित मामले में न्यायालय किसी व्यक्ति के लिए या भारत में) उच्च न्यायालय को छोड़कर (किसी न्यायालय के लिए कमीशन निकाल सकेगा

1- साक्षी से पृच्छा के लिए-

क (जहाँ वह न्यायालय के क्षेत्राधिकार के भीतर निवास करता हो और न्यायालय में हाजिर होने से मुक्त हो, या रोगी और दुर्बल होने के कारण न्यायालय में हाजिर होने में असमर्थ हो।] आदेश 26, नियम 1]। यदि साक्षी न्यायालय की स्थानीय सीमा के भीतर निवास न करता हो, तो यह नियम लागू नहीं होगा।

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

इन नियमों में किसी बात के होते हुये भी कोई न्यायालय किसी बाद में न्याय के हित में या मामले को शीघ्र निपटाने के लिये या किसी अन्य कारण से किसी बाद में अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के निवास करने वाले किसी व्यक्ति की परिप्रश्न पर या अन्यथा परीक्षा के लिये कमौशन या प्रश्नावली या अन्यथा निकाल सकेगा और इस प्रकार अभिलिखित साक्ष्य को साक्ष्य के रूप में पढ़ा जाएगा।) आदेश 26 नियम 4-क(

ख (जो कि न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर निवास करता हो] आदेश 26, नियम 4 (क [(

ग (जो कि न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर बाहर जाने वाला हो] आदेश 26, नियम 4

घ (जो कि सरकारी सेवक हो और जो कि लोकसेवाओं का हर्ज किये बिना न्यायालय में हाजिर नहीं हो सकता] आदेश 26, नियम 4 (ग[(।

ङ (जो कि भारत के बाहर निवास करता हो।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि न्यायालय मात्र इस आधार पर कमीशन जारी करने का आदेश नहीं दे सकता कि साक्षी इन दिनों बहुत अधिक व्यस्त है और वह सात दिनों तक भारत में नहीं रह सकताA३

2- स्थानीय अनुसंधान के लिए

अ (किसी विवादग्रस्त विषय के स्पष्टीकरण के लिए।

ब (किसी सम्पत्ति के बाजारी मूल्य का अभिनिश्चय करने के लिए।

स (मध्यवर्ती लाभों क्षतिपूर्ति या वार्षिक शुद्ध लाभों का अभिनिश्चय करने के लिये।

3- फसल मूल्यांकन विशेषज्ञ की रिपोर्ट की ग्राह्यता -मेरिअप्पा शेवर बनाम कालियाम्मल 10 के मामले में यह तर्क दिया गया था कि कमीशन निष्पादक एवं गन्ना विशेषज्ञ की रिपोर्ट आदेश 26, नियम 10 के प्रावधानों की तहत साक्ष्य में ग्राह्य हैं। मद्रास उच्च न्यायालय के द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यद्यपि कमीशन निष्पादक की रिपोर्ट साक्ष्य में ग्राह्य है तथापि उसके मूल्य एवं उसके स्वामित्व के सम्बन्ध में, बिना किसी अन्य परिपुष्टि और कमीशन निष्पादक या गन्ना विशेषज्ञ के साक्षी-कठघरा में गये एवं मूल्यांकन पर अपनी राय का आधार स्पष्ट किये बिना उसको राय सीधे स्वीकार नहीं की जा सकती। न्यायालय द्वारा आगे यह भी अभिनिर्धारित किया गया था कि जब तक कि कमीशन निष्पादक या गन्ना विशेषज्ञ ने मूल्यांकन पर अपने विचार के आधार का स्पष्टीकरण नहीं किया है तथा पक्षकारों के द्वारा जिरह नहीं की गई है तो मूल्यांकन के सम्बन्ध में रिपोर्ट का साक्ष्य मूल्य बहुत कम हो जायगा।

4- पक्षकारों के लेखा की परीक्षा करने और प्रतिवेदन रिपोर्ट भेजने के लिए& लेखाओं के परीक्षण या समायोजन हेतु कमशन निकाल सकेगा] आदेश 26, नियम 11]

5- सम्पत्ति का बँटवारा करने और प्रत्येक पक्षकार का अंश निर्धारित करने के लिए- जहाँ कि विभाजन के लिए प्रारम्भिक डिक्री दी जा चुकी है वहाँ न्यायालय धारा 54 के द्वारा उपबन्धित न किये गये किसी मामले में ऐसी डिक्की में घोषित अधिकारों के अनुकूल विभाजन या पृथक्करण करने के लिए कमीशन ऐसे व्यक्ति के नाम निकाल सकेगा जिसे वह इसके लिए ठीक समझता है। आदेश 26, नियम 13]|

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

6- विदेशी न्यायाधिकरणों के अनुरोध पर उच्च न्यायालय द्वारा निकाला गया कमीशन- कोई उच्च न्यायालय इस बात पर सन्तुष्ट हो जाने पर कि कोई विदेशी न्यायालय उसके क्षेत्राधिकार में निवास करने वाले किसी व्यक्ति का साक्ष्य किसी सिविल कार्यवाही में प्राप्त करना चाहता है तो वह अपने क्षेत्राधिकार के अन्दर किसी व्यक्ति के लिए या किसी न्यायालय के लिए ऐसे साक्षी की परीक्षा करने के लिए कमीशन निकाल सकेगा। आदेश 26, नियम 19]

7- शीघ्र एवं प्राकृतिक रूप से क्षययोग्य वस्तुओं के विक्रय करने के लिए& ऐसी सम्पत्ति का विक्रय करने के लिए जो शीघ्र और प्राकृतिक रूप से क्षय हो सकती हो और वाद का निर्धारण लम्बित रहने तक न्यायालय की अभिरक्षा में है ऐसी शर्तों और मर्यादाओं के अधीन रहते हुए, जैसी कि विहित की जाएँ, न्यायालय कमीशन निकाल सकेगा। धारा 75 (च[(

8- कोई अनुसचिवीय कार्य करने के लिए- ऐसी शर्तों और मर्यादाओं के अधीन रहते हुए, जैसी कि विहित की जाएँ, न्यायालय कोई अनुसचिवीय कार्य करने के लिए कमीशन निकाल सकेगा] धारा 75 (छ[(। ऐसा कमीशन आदेश 26, नियम 19 (ख (के अन्तर्गत निकाल सकेगा। कमीशन निष्पादक को शक्तियों निम्नलिखित हैं

1 उनको निर्दिष्ट किये गये विषय में पक्षकारों या साक्षियों और ऐसे अन्य व्यक्तियों से पृच्छा करना जिन्हें वह साध्य देने के लिए बुलाना उचित समझता है।

2 जाँच के विषय से संगत दस्तावेजों और अन्य वस्तुओं का माँगना तथा उनकी परीक्षा करना।

3 किसी उपयुक्त समय पर किसी भूमि या भवन में प्रवेश करना।] आदेश 26, नियम 16]।

4 यदि पक्षकार उसके समक्ष हाजिर होने में विफल रहे तो एकपक्षीय) Ex-parte) अग्रसर होना।

5 साक्षियों के आहत किये जाने, उनकी उपस्थिति तथा उनकी परीक्षा से सम्बद्ध विषयों में कमीशन निष्पादक सिविल न्यायालय समझा जायगी।

प्र. अपीलीय न्यायालय की शक्तियों का वर्णन कीजिए।

उ - **अपीलीय न्यायालय की शक्तियों-** अपीलीय न्यायालय की डिक्रियों एवं आदेशों से प्रथम अपील में निम्नलिखित शक्तियाँ होती है

1- किसी मामले को अन्तिम रूप से अवधारित करना] धारा 107 (1 (क [(कोई डिक्री और आदेश पारित करना जो कि पारित किया जाना चाहिए था या ऐसी अतिरिक्त डिक्री या आदेश पारित करना जैसा कि मामले में वांछित हो। इस शक्ति का प्रयोग इस तथ्य के होते हुए भी किया जा सकता है कि अपील डिक्री के अंश के सम्बन्ध में ही है। यह शक्ति समस्त या किसी प्रत्युत्तरदाता या पक्षकारों के पक्ष में प्रवर्तित की जा सकती है चाहे ऐसे प्रत्युत्तरदाता या पक्षकारों ने कोई अपील या आपत्ति दाखिल की हो या नहीं।) आदेश 41, नियम 33) ।

2- किसी आज्ञप्ति की पुष्टि आदि करने की शक्ति-किसी डिक्री जिससे अपील गई है, को पुष्ट करना, परिवर्तित करना या उलट देना।] आदेश 41, नियम 32]

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

3- पक्षकारों की सहमति पर कोई आदेश अथवा सहमति पारित करने की शक्ति-उस ढंग की कोई डिक्री पारित करना या आदेश करना जिससे कि पक्षकार सहमत हो) उदाहरणार्थ-वादों में
सुलहनामा या समायोजन(।

4- मूल क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय की तरह कार्यों को सम्पन्न करने की शक्ति -यह वाद के सम्बन्ध में उन्हीं कार्यों को सम्पन्न कर सकता है जैसे कि मूल क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय

5- मामले को प्रतिप्रेषित करने की शक्ति यह किसी मामले को पुनः विचारण या

नये और अतिरिक्त साक्ष्य लेकर विनिश्चय करने के लिए विचारण -न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर सकता है
धारा 105 आदेश 41, नियम 21, 23-25]।

यह निम्न मामलों पर प्रतिप्रेषण कर सकता है) 1) जहाँ कि मूल न्यायालय के बाद का निपटारा किसी प्रारम्भिक बिन्दु पर कर दिया है और वह
डिक्री अपील में उलट दी गई है तो अपीलीय न्यायालय मामले को प्रतिप्रेषित कर सकता है और यह अतिरिक्त निदेश दे सकता है कि ऐसे मामले में कौन से वाद-पद या वादपदों का विचारण किया जाय।] आदेश 41, नियम 23]
जहाँ कि मूल न्यायालय ने
क (किसी वादपद की रचना करने में,
ख (किसी वादपद के विचारण करने में,
ग (ऐसे किसी तथ्य के प्रश्न के अवधारण में कार्यलोप किया है जो कि अपीलीय न्यायालय को गुण-दोष पर बाद में समुचित विनिश्चय के लिए आवश्यक हो तो अपीलीय न्यायालय वाद-पदों की रचना कर सकेगा और मूल न्यायालय को विचारण हेतु निर्दिष्ट कर सकेगा तथा अपेक्षित अतिरिक्त साक्ष्य लेने के लिए निदेश कर सकेगा।] आदेश 41, नियम 25]।

यह अपनी अन्तर्निहित शक्ति के अन्तर्गत विचारण-न्यायालय को पुनः विचारण के लिये ऐसे किसी निदेश के साथ जैसा कि समुचित हो, मामले को प्रतिप्रेषित कर सकेगा 49 [आदेश 41, नियम 33]।

6 वादपदों को पुनः निश्चित करने की शक्ति– यह वादपदों को पुन :निश्चित कर सकती है .और यदि अभिलेख पर साक्ष्य पर्याप्त हैं तो यह वाद का अन्तिम रूप से निपटारा कर सकता है।] आदेश 41, नियम 24]।

7 अतिरिक्त साक्ष्य के प्रस्तुतीकरण का आदेश देने की शक्ति- अपोलीय न्यायालय द्वारा भेजे गये वाद-पदों को विचारण के बाद विचारण-न्यायालय साक्ष्य तथा अपने निष्कर्षो को उसको वापस भेजेगा तथा इन आपत्तियों को सुनने के पश्चात्) यदि कोई हो(] अपीलीय न्यायालय अपोल विनिश्चित करेगा।

8 यदि मूल न्यायालय ने ऐसा साक्ष्य ग्रहण करने से इन्कार कर दिया है या अपीलीय न्यायालय या तो स्वयं निर्णय सुनाने के योग्य होने के लिए या किसी अन्य सारभूत हेतु के लिए अपेक्षा करता है तो न्यायालय ऐसे अतिरिक्त साक्ष्य का प्रस्तुत किया जाना अनुज्ञात कर सकेगा] आदेश 41, नियम 27]। अपीलीय न्यायालय या तो ऐसा साक्ष्य स्वयं ले सकेगा या मूल न्यायालय या किसी अन्य अधीनस्थ न्यायालय को ऐसा साक्ष्य लेने के लिए और उसे अपीलीय न्यायालय आदेश दे सकेगा।] आदेश 41, नियम 28]

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

प्र न्यायालयों की अन्तनिहित शक्तियों से संबंधित की विवेचना कीजिए।

उ - अन्तर्निहित शक्तियाँ धारा 151 यह अधिनियमित करती है कि" इस संहिता की किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जायेगा कि न्यायालय को ऐसे आदेशों को देने की अन्तर्निहित शक्ति को सीमित या अन्यथा प्रभावित करती है, जो कि 'न्याय के उद्देश्यों के लिए' या 'न्यायालय की आदेशिका) Process) के दुरुपयोग का निवारण करने के लिए आवश्यक हों।

इस धारा का क्षेत्र और उद्देश्य यह धारा किसी नये मत का सूत्रपात नहीं करती, अपितु एक चिरस्थापित सिद्धान्त को वैधानिक मान्यता प्रदान करती है कि प्रत्येक न्यायालय के पास, न्याय के हित में कार्य करने की शक्ति होती है। इसलिए न्यायाधीश का यह कर्त्तव्य होता है कि ऐसी समस्त शक्तियों का प्रयोग, केवल उन्हीं को नहीं करना चाहिए जो कि अभिव्यक्त उपबन्धों के द्वारा नियन्त्रित प्रतीत होती हो अपितु उन सब मामलों में जिनमें उनको लागू किया जा सकता है, के लिए भी करना चाहिए। न्यायालय को इस सिद्धान्त पर कि प्रत्येक प्रक्रिया को तब तक प्रतिषिद्धि रूप में लिया जाना चाहिए जब तक कि इसके लिए विशेष रूप से संहिता में उपबन्ध न हों, कार्य नहीं करना चाहिए, अपितु इसके विपरीत इस सिद्धान्त पर कि प्रत्येक प्रक्रिया को तब तक अनुमत समझना चाहिए जब तक कि यह विधि द्वारा प्रतिषिद्ध नहीं दर्शाया जाती' कार्य करना चाहिए। **रामचन्द्र सिंह बनाम सावित्री देवी एवं अन्य** के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि जहाँ प्रारम्भिक डिको कपट करके प्राप्त की गई हो .वहां न्यायालय को उसे अपास्त करने की अन्तनिहित शक्ति प्राप्त है।
अन्तर्निहित शक्ति का प्रयोग आवश्यक रूप से केवल तब किया जाना चाहिए जब कि संहिता के द्वारा विशिष्ट उपबन्ध मामले की जरूरतों को पूरा नहीं करते। यदि उपचार किसी पृथक् वाद द्वारा हो तो न्यायालय को इस धारा के अन्तर्गत हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये, उदाहरणार्थ, सम्मति से प्राप्त की गई डिक्री में कपट के आधार पर संशोधन करना
धारा 151 के अन्तर्गत अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग तभी किया जायेगा जब प्रवर्तित विधि के प्रावधानों के अनुसार कोई अन्य उपचार उपलब्ध न हो। विधि के सामान्य सिद्धान्तों के विरोध में भी इन शक्तियों का प्रयोग नहीं करना चाहिये।

निम्नलिखित मामलों में न्यायालय अपनी अन्तर्निहित शक्ति का प्रयोग कर सकता है

1 वादों और अपीलों का सम्मेकन करना 35 (

2 ऐसे किसी मामले को प्रतिप्रेषित करना जिस पर कि आदेश 41 का नियम 23 या आदेश 41 का नियम 25 लागू न होता हो) 36

3 अकिंचनता में प्रतिवाद के लिए अनुज्ञा देना 37

4 यह अभिनिश्चित करना कि क्या उसके समक्ष उचित पक्षकार हैं 38

5 किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा पक्षकार बनने के लिए आवेदन प्राप्त करना 139

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

6 न्यायालय को अपने आदेश के निकालने से रोकना अथवा उनके क्रियान्वयन को स्थगित करना यदि न्याय की आवश्यकताओं से ऐसा अपेक्षित हो 10 4 अपील के लम्बित रहने तक अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाहियों को रोकना) स्थगन (एवं ऐसेस्थगन पर एक अवयस्क का अस्थायी संरक्षक नियुक्त करना 1

8 उन मामलों को प्राइन्याय का सिद्धान्त लागू करना जो सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के अन्तर्गत नहीं आते 12

७ (किसी पक्षकार को जोड़ना 43

10 पक्षकारों का पक्षान्तरण करना 44

11 न्यायालय के अपमान के लिए सरसरी तौर पर कारावास के दण्ड से दण्डित करना 145

12 किसी सहवादी को बाद से हटने की अनुमति देने से उस मामले से इन्कार करना जब वह उसी बाद-हेतु पर कोई नया वाद संस्थित करने की अनुमति नहीं माँगता अथवा उस पर प्रतिबन्ध लगाना 46

73 स्वयं अपने आदेश के अनुसरण में कार्यवाही को अभिप्रेत) Intended) अपील की दृष्टि से रोक देना 47

14 क्षेत्राधिकार का निश्चय करना, यद्यपि इसको जाँच के परिणामस्वरूप यह ज्ञात हो सकता है कि उस न्यायालय को बाद पर क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है 148

15- ऐसे प्रश्नों का विचाराधिकार प्राप्त करना जो कि पक्षकारों के बीच विवादग्रस्त विषय वस्तु को ही समाप्त कर देता हो, उदाहरणार्थ कोई बन्धक विलेख सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम की धारा 59 द्वारा यथापेक्षित प्रमाणित है 19

16- न्यायालय के साथ कपट करके अभिप्राप्त किये गये किसी आदेश को रद्द करना] उदाहरणार्थ
जब प्रतिवादी द्वारा कभी भी न लगाया गया कोई अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से किसी डिक्री के बारे में अपनी सम्मति देता है 50

17- उन मामलों में जिनके लिए आदेश 9 नियम 9 के द्वारा उपवन्धित नहीं है] चूक के लिए खारिज किये गये किसी वाद को पुनः स्थापित करना 51 एक मामले में यह धारण किया गया है कि न्यायालय के पास वाद को पुनःस्थापित करने की अन्तर्निहित शक्ति होती है जो कि इस आधार पर खारिज किया गया था कि पुनःस्थापन का खर्चा नियत तारीख पर जमा नहीं किया गया था जो कि पुनःस्थापन के लिए आवश्यक शर्त थी 52.

18- किसी व्यक्ति को व्यादेश द्वारा किसी अन्य न्यायालय में किसी बाद के बारे में आगे कार्यवाही करने से रोकनो] आदेश 39 नियम 1 के अधीन प्राप्त उच्च न्यायालयों की शक्तियों I[53]

केवल न्याय के लक्ष्य के लिए अन्तर्निहित शक्ति का प्रयोग -इसके अतिरिक्त] इस धारा के अन्तर्गत कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि यह न्याय के लक्ष्य के लिए अथवा न्यायालय-प्रक्रम के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक न हो। केवल यह तथ्य कि कोई दूसरा उपचार नहीं है] इस धारा के प्रयोग को आकर्षित न कर सकेगा

अन्तर्निहित शक्ति का प्रयोग कब नहीं होता -न्यायालय को निम्नलिखित मामलों में क्षेत्राधिकार नहीं होता अन्तर्निहित

1 आदेश 7 नियम 11 (के अधीन कोर्ट फीस न देने की चूक के लिए खारिज किये गये वाद को पुनः स्थापित करना।

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

2 वेस्ट बंगाल रेन्ट कन्ट्रोल ऐक्ट की धारा 6 के अन्तर्गत जमा करने के लिए समय बढ़ाना।

3 अन्तरिम अनुतोष स्वीकार करना जो कि केवल विवादास्पद बिन्दुओं के निर्धारण के पश्चात् डिक्री उचित रूप से स्वीकार की जा सकती थी।

4 पक्षकारों को मेडिकल परीक्षण अथवा खून की जाँच के लिए मजबूर करना।

5 किसी आदेश पर विचार अथवा पुनर्विलोकन

6 किसी एकपक्षीय डिक्री को रद्द करना।

7 किसी एकल न्यायाधीश द्वारा घोषित उच्च न्यायालय के निर्णय से किसी अंशों का मिटाना या निकालना।

8 वादी के आधिपत्य में होने वालो लेखा-बही को जब्त करने के लिए किसी कमिश्नर की नियुक्ति करना।

9 जब पुनर्विलोकन विधि या तथ्य की त्रुटि के अलावा किसी अन्य आधार पर स्वीकार किया जाता है तो पुनर्विलोकन आवेदन पर भुगतान किये गये कोर्ट फीस को वापस करना।

10 अपने अनन्य क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत किसी विषय पर राजस्व न्यायालय द्वारा दिये गये निष्कर्ष को रद्द करना।

11 किसी शर्तपूर्ण आदेश के पालन करने में प्रतिवादी की किसी विफलता पर आदेश 37 नियम 2 के अन्तर्गत पारित की गई किसी डिक्री को रद्द करना।

12 किसी पंचाट को, इसको 'स्टैम्प पेपर पर एवं पंजीकृत करने में अन्तिम प्रारूपण करने के लिए छूट देना।

13 चूक के लिए खारिज किये गये किसी चुनाव याचिका को पुनःस्थापित करना ।

14 अपील के उपशमन हो जाने के पश्चात् किसी मृतक प्रत्यर्थी के वैध प्रतिनिधि को अभिलेख पर लाना।

15 किसी प्रतिवादी का निकालना।

16 जहाँ मामले में विधि का प्रयोज्य सिद्धान्त है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग संवैधानिक उपबन्ध को अकृत एवं शून्य करने के लिये नहीं किया जा सकता

इसी प्रकार हिमांचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने **शोभित कान्स्ट्रक्शन एवं अन्य बनाम टी० के० इण्टरनेशनल लि.66** के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि लिखित कथन फाइल करने की अवधि का विस्तार समन की तामीली के 90 दिन बाद न्यायालय धारा 151 में प्राप्त अन्तर्निहित शक्तियों के प्रयोग में भी नहीं कर सकता।

अन्तर्निहित शक्तियाँ केवल सामान्य क्षेत्राधिकार रखने वाले सिविल न्यायालयों में निहित हो सकती हैं किसी विशिष्ट संविधि के अधीन गठित न्यायाधिकरण में नहीं

अपील - धारा 151 के अन्तर्गत पारित आदेश के विरुद्ध अपील नहीं होती है। इसके विरुद्ध केवल उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण हो सकता है ।67

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW